

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 22 / 2024	08.05.2024	22.05.2024

1- Indian Overseas Bank, Sector -56, Gurgaon Branch, SCo-56, Sector -56, Gurgaon Haryana- 122011

प्रार्थी

बनाम

1- Naresh Kumar,  
H. No- 35, 2<sup>nd</sup> Floor, New Nalanda Public School, Molarband Extn. ,  
Bandarpur, New Delhi- 110044

Also At:- H.no 16 Ram Nagar Delhi 110051

Also At: 1007, 10th Floor Wave Silver Tower, Opp. Metro Station Sector 18  
Noida, U.P. 201301

Also At: Flat/Unit No. 004 Ground Floor, Tower B2 of Avalon Homes At  
Village Masit on Bhiwadi-Alwar Bypass Road Tehsil Tapukada

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड  
रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड  
एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Indian Overseas Bank, Sector -56, Gurgaon Branch, SCo-56, Sector -56, Gurgaon Haryana की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2019 को 18,50,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat/Unit No. 004 Ground Floor, Tower B2 of Avalon Homes At Village Masit on Bhiwadi-Alwar Bypass Road Tehsil Tapukada स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Naresh Kumar, प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 04.05.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Flat/Unit No. 004 Ground Floor, Tower B2 of Avalon Homes At Village Masit on Bhiwadi-Alwar Bypass Road Tehsil Tapukada स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Naresh Kumar, का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 04.05.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल बकाया 22,54,450/- रुपये (बाईस लाख चक्वन हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के

जिला कलक्टर  
अलवर-राजस्थान

उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat/Unit No. 004 Ground Floor, Tower B2 of Avalon Homes At Village Masit on Bhiwadi-Alwar Bypass Road Tehsil Tapukada स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Naresh Kumar, का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति Flat/Unit No. 004 Ground Floor, Tower B2 of Avalon Homes At Village Masit on Bhiwadi-Alwar Bypass Road Tehsil Tapukada स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Naresh Kumar, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० आरिका शुक्ला)  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
खैरथल-तिजारा (राज०)